न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)
UPHP010009612022

Sessions Case/215/2022
State of U.P. Vs. Abhisek
सत्र परीक्षण संख्या 215 सन 2022

मु0अ0सं0 1111/2021
सरकार बनाम अभिषेक
अ0 धारा 452,354–क,354–घ, 323, 504,506 भा0द0सं0
7/8 पोक्सो एक्ट
थाना–हापुडनगर ,जिला हापुड

05.11.2024

पत्रावली प्रस्तुत । अभियोजन/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 11ख अर्न्तगत धारा 319 द0प्र00सं दि0 01.08.2024 पर विद्वान विशेष लोक अभियेाजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना । पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियोजन/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 11ख अर्न्तगत धारा 319 द0प्र0सं0 दि0 01.08.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में आज की तिथि वास्ते साक्ष्य नियत है। उक्त एस0टी0 में पुलिस हापुड नगर के विवेचक ने अभियुक्त के भाई शिवम सहअभियुक्त का नाम चार्जशीट में बिना विधिक कारण के निकाल दिया है, जबकि एफ0आई0 आर0 में वादी के धारा 161 द0प्र0सं0 के बयान में अदालत में दिए गए बयान की मुख्य परीक्षा में शिवम का घटना में संलिप्त होना स्पष्ट रूप से बताया गया है । इसी प्रकार पीडिता पारूल ने भी अपने धारा 161 द0प्र0सं0 व 164 द0प्र0सं0 के बयानो में भी शिवम का अपराध कारित करना बताया है तथा जिन गवाहों के आधार पर शिवम का नाम निकाला गया है , वे स्वतन्त्र गवाह नहीं थे, ना ही घटना के समय मौजूद थे , जबकि शिवम घटना के वक्त वादी के घर मौजूद था । अभियुक्त के भाई शिवम की घटना में शामिल होने की भूमिका वादी पक्ष के सभी चश्मदीद गवाहों ने अपने बयानो में बताई है । उक्त आधारों पर शिवम पुत्र रामदास निवासी मौहल्ला जसरूपनगर दस्तोई रोड हापुड थाना हापुड नगर जिला हापुड को अर्न्तगत धारा 319 द0प्र0सं0 तलब करने की याचना की गयी ।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दि0 25.09.2024 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी ने उक्त प्रार्थनापत्र बिलकुल असत्य, निराधार व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है , जो किसी भी दशा में प्रगतिशील व पोषणीय

Digitally signed by
Umakant jindal
Date: 2024.11.06
10:47:40 IST
Reason: order
Location: District and
Sessions Court
Hapur

नही है । वादी ने जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पत्रावली पर दाखिल किया है उसमें न्यायालय का नाम ए.एस.जे. (पोस्को) प्रथम हापुड लिखा है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में मा० न्यायालय का सही एवं वास्तविक नाम ए.डी.जे. (पोस्को) प्रथम हापुड लिखा होना चाहिए था और वादी मुकदमा ने जो धारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र में तहरीर की है यह गलत है जबकि चार्जशीट में धारा 452, 323, 504, 354डी, 354क आई पी०सी० व 7/8 पोक्सो एक्ट अंकित है लेकिन वादी मुकदमा ने अपने उक्त प्रार्थना एक में धारा 452, 323, 504, 354डी, 354क आई०पी० सी० व 7/28 पोस्को एक्ट लिखी है जो कि विल्कुल गलत है इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र वैधानिक रुप से त्रुटिपूर्ण होने व प्रीमैच्योर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। वादी मुकदमा ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी गवाह का नाम नहीं लिखा है तथा किस गवाह ने क्या कहा है तथा क्या पूछा जाना है, का कोई उल्लेख नहीं किया है। पीड़िता ने अपने धारा 164 सीआर.पी०सी० के बयान में कहीं भी शिवम का नाम नहीं लिया है सिर्फ यह कहा है कि दिनाक 27.11. 2021 को अभिषेक व उसका भाई रात में हमारे घर मारने के लिए आ गये। उक्त स्थिति में भी वादी का प्रार्थना पत्र प्रगतिशील व पोषणीय नहीं है। विवेवक ने उक्त केस की विवेचना में गवाह सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद के बयान अंकित किये जिसमें गवाह ने बताया कि दिंनाक 27.11.2021 को शिवम घटना के समय वहाँ पर मौजूद नहीं था, शिवम का नाम झूठा लिखाया गया है। शिवम गुड का काम करता है वह घटना के समय अपने मालिक गौरव गर्ग के साथ मौजूद था उस दिन शाम को शिवम को अपने मालिग गौरव गर्ग के साथ हरिद्वार जाना था इसलिए वह रात में रायल पैलेस में रूके थे शिवम भी गौरव के साथ था। गवाह हुकम सिहँ पुत्र भूपेन्द्र, अशोक कुमार पुत्र नेकीराम व गौरव गर्ग पुत्र अवतार गर्ग ने अपने बयानो में शिवम को दिनाक 27.11.2021 को शाम के समय रायल पैलेस होटल रेलवे रोड हापुड में रूकना व वहाँ से हरिद्वार जाने का कथन उल्लेखित किया है जिससे भी सिद्ध होता है कि उक्त केस की घटना से शिवम का कोई ताल्लुक वास्ता नही है शिवम को उक्त केस में केवल दबाव बनाने एवं नाजायज दुरूददेश्यों की पूर्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो किसी भी दशा में प्रगतिशील व पोषणीय नही है। उपरोक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट या अन्य कभी भी शिवम के द्वारा उक्त अपराध में सम्मिलित होने का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा ना ही कोई साक्ष्य उपलब्ध है परन्तु फिर भी इसके बावजूद वादी मुकदमा ने झूठे व मनघढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के नाहक तंग व परेशान करने के दुरूददेश्य से प्रस्तुत किया गया है जो

किसी भी दशा में प्रगतिशील व पोषणीय ना होने के कारण खण्डित होने योग्य है। वादी मुकदमा ने उक्त प्रार्थनापत्र मात्र माननीय न्यायालय का बहुमूल्य व कीमती समय बर्बाद करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय की नजीरो में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि विवेचक द्वारा जिन आधारों पर मुल्जिम का नाम निकाला गया था , जब तक उनका बयान मान्य न्यायालय में नहीं हो जाता है जिस आदमी ने छूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी उसके आधार पर उसको तलब नही किया जा सकता इसलिए दरख्वास्त को प्री मैच्योर माना जायेगा। इस आधार पर भी वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र प्री–मैच्यौर है। उपरोक्त कारणों व तथ्यों के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में वादी सतेन्द्र कुमार द्वारा टाईपशुदा तहरीर दि0 30.11.2021 प्रस्तुत की गयी कि – ''प्रार्थी मौहल्ला जसरूप नगर दस्तोई रोड हापुड थाना हापुड नगर जिला हापुड का निवासी है। प्राथी की पुत्री ''पी'' उम्र 15 वर्ष कक्षा 10 की छात्रा है। प्रार्थी की पुत्री को पडोस में रहने वाला अभिषेक पुत्र रामदास छेडछाड करता है और अपने दोस्तो से भी छेडछाड करवाता है और स्कूल जाते हुये या घर से बाहर निकलते हुये पारूल के साथ अश्लील हरकत करता है, जब प्रार्थी की पुत्री ने घर पर यह बताया तो हम परिवार के लोगो ने अभिषेक के परिवार वालो से शिकायत की और समझाया लेकिन अभिषेक फिर भी नहीं माना और उल्टा प्रार्थी के साथ मारपीट पर उतारू हो गया। दिनांक 27–11–2021 की सांय 7 बजे एक छोटे लडके प्रिन्स पुत्र चन्दर को नशे की गोलियां लेकर प्रार्थी के घर भेज दिया और कहा कि इन गोलियां को पानी में मिलाकर देना, उक्त लडके को गोलियां डालते हुये पकड लिया और पूछा कि गोलियां किसने दी है, बताया कि गोलियां अभिषेक ने दी है और पूछा कि अभिषेक ने गोली क्यो दी है तो कहा कि पारूल को दे देना, रात्रि में करीब 10 बजे प्रार्थी के घर के अन्दर दाखिल हुआ और अभिषेक सभी सोता समझ पारूल से बलात्कार करने की नीयत से दबोच लिया, शोर सुनकर हम सभी लोग जाग गये, और अभिषेक का भाई शिवम भी आ गया, और घर के अन्दर ही प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ गंदी गंदी गालियां देकर मारने पीटने लगे तथा भाग गये, जाते जाते आइन्दा भुगतने की धमकी देकर गये है।'' वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अभिषेक व शिवम के विरूद्ध मु0अ0सं0 1111/2021, अ0 धारा 452, 323, 504, 506 ,354–घ, 376/511 भा0द0सं0 व 7/8 पोक्सो

एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचक द्वारा विवेचना कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा यह निष्कर्षित किया गया कि –'' दौराने विवेचना 376/511 भा0द0वि0 के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए , जिनका लोप किया गया तथा धारा 354–क भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी तथा नामित शिवम पुत्र रामदास निवासी मौ0 जसरूपनगर दस्तोई रोड थाना हापुड नगर की संलिप्तता नहीं पायी गयी जिसका नाम विवेचना से प्रथक किया गया । जब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, बयान पीडिता, बयान स्वतन्त्र गवाह व अन्य संकलित साक्ष्य से अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामदास निवासी मौ0 जसरूपनगर दस्तोई रोड थाना हापुड नगर जिला हापुड के विरूद्ध जुर्म धारा 452,323, 504,506 ,354–क, 354–घ, भा0द0सं0 व 7/8 पोक्सो एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित हो रहा है ।'' जिसके आधार पर अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध धारा 452, 323, 504, 506 ,354–क, 354–घ, भा0द0सं0 व 7/8पोक्सो एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध धारा 452, 323, 504,506 ,354–क, 354–घ, भा0द0सं0 व 7/8 पोक्सो एक्ट का आरोप विरचित किया गया तथा बतौर पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा सतेन्द्र कुमार, पी0डब्लू–2 पीडिता ''पी'' का सशपथ साक्ष्य अंकित किया गया है । जिसके उपरान्त वादी /अभियेाजन पक्ष द्वारा अभियोजन/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 11ख दि0 01.08.2024 के माध्यम से शिवम पुत्र रामदास निवासी मौहल्ला जसरूपनगर दस्तोई रोड हापुड थाना हापुड नगर जिला हापुड को अर्न्तगत धारा 319 द0प्र0सं0 तलब करने की याचना की गयी ।

प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना स्वतन्त्र गवाहान सुरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद ,गवाह हुकम सिहँ पुत्र भूपेन्द्र, अशोक कुमार पुत्र नेकीराम व गौरव गर्ग पुत्र अवतार गर्ग के बयान अंकित किया जाना व उक्त गवाहान द्वारा दिंनाक 27.11.2021 को शिवम को घटना के समय वहाँ पर मौजूद न होना , अपने मालिक गौरव गर्ग के साथ शिवम को दिनाक 27.11.2021 को शाम के समय रायल पैलेस होटल रेलवे रोड हापुड में रूकना व वहाँ से हरिद्वार जाने का कथन उल्लेखित किया है तथा नामित शिवम पुत्र रामदास की संलिप्तता न पाते हुए उसका नाम विवेचना से प्रथक किया गया है ।

बतौर पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा सतेन्द्र कुमार द्वारा अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन किया है कि –'' मैंने थाने में तहरीर अभिषेक के खिलाफ दी थी । मुझे ध्यान नहीं है

कि तहरीर मेरे हस्तलेख में है या टाईपशुदा है । मैं पढना नहीं जानता , केवल हस्ताक्षर करना जानता हूं । मैं नहीं कह सकता कि तहरीर मुझे पढकर सुनाई गई थी या नहीं । मैंने दि0 27.11.2021 को थाने में रात को ही तहरीर दे दी थी । यदि तहरीर दि0 27.11.2021 के अलावा कोई अन्य तहरीर पत्रावली पर मौजूद है , तो वह तहरीर गलत है ।''

बतौर पी0डब्लू–2 परीक्षित की गयी मामले की पीडिता ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में ही कहीं भी नामित शिवम का नाम नहीं लिया है , मात्र अभियुक्त अभिषेक द्वारा उसके साथ घटना घटित करने का कथन किया गया है । पीडिता द्वारा अपने बयान अ0 ाारा 164 द0प्र0सं0 में भी शिवम का कोई विशिष्ट कृत्य नहीं बताया है । महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लैंगिक उत्पीडन के मामलो में पीडिता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी होती है । प्रश्नगत मामले में पीडिता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने सशपथ बयान में कहीं भी नामित शिवम का नाम नहीं लिया है ।

मात्र आशंका के आधार पर किसी को सरसरी तौर पर तलब नहीं किया जा सकता , जब तक कि समस्त साक्ष्य प्रमाणित न हो ।

जहां तक धारा 319 द0प्र0सं0 में तलब किए जाने का सम्बन्ध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सर्वजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2009 (66) ए सी०सी० 32 सुप्रीम कोर्ट** में बताया गया कि ''जब तक न्यायालय पूर्ण रूप से संन्तुष्ट न हो जाये कि अभियुक्त को तलब किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है, तब तक न्यायालय को किसी व्यक्ति को तलब नहीं किया जाना साहिए। सरसरी तौर किसी व्यक्ति को तलब किया जाना उपयुक्त नहीं है, जब तक उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न हो और मामले में अभियुक्त को तलब किए जाने के समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।''

एक अन्य विधि व्यवस्था **म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम रामकिशन रोहतगी 1983 (20)ए0सी0सी0 50** में में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि –''अपितु यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, परन्तु उक्त विवेकाधिकार को अत्यधिक सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मात्र प्रथम दृष्ट्या आधारों पर तलब किया जाना उचित नहीं है।''

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य के अवलोकनोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि धारा 319 द०प्र०स० प्रार्थनापत्र 11ख अर्न्तगत धारा 319 द0प्र00सं दि0 01.08.2024 स्वीकार किए जाने योग्य नही है ।

<u>आदेश</u>

अभियोजन/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 11ख अर्न्तगत धारा 319 द0प्र00सं दि0 01.08.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वारते शेष साक्ष्य दिनांक 22.11.2024 को पेश हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।